

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम०के०सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 605/11/2005 - विलुद्ध आदेश दिनांक 19.4.05 - पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण क्रमांक 194 अ-27/2002-03 निगरानी

1- बीर सिंह 2- करन सिंह
पुत्रगण बाबू सिंह
दोनों निवासी ग्राम बड़ागांव
तहसील नौगाँव जिला छतरपुर
विलुद्ध

-----आवेदकगण

1- अवतार सिंह उर्फ अतर सिंह
2- तिलक सिंह पुत्रगण बाबूसिंह
दोनों निवासी ग्राम बड़ागांव
तहसील नौगाँव जिला छतरपुर

-----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँवर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 15-9-2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 194 अ-27/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.4.2005 के विलुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि ग्राम बड़ागाँव की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 32 पर दिय गये आदेश दिनांक 31.8.1989 के विलुद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी नौगाँव के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी नौगाँव ने प्रकरण क्रमांक



14/2000-01 अपील पंजीबद्व कर अंतरिम आदेश दिनांक 21.8.2001 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन खीकार कर विलम्ब क्षमा किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी करने पर प्रकरण क्रमांक 126 अ 27/01-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.1.2003 से निगरानी अमान्य की। इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 194 अ-27/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.4.2005 से निगरानी अखीकार की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ व्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ व्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार किया जाना है कि अनुविभागीय अधिकारी नौगांव ने प्रकरण क्रमांक 14/2000-01 अपील पंजीबद्व कर अंतरिम आदेश दिनांक 21.8.2001 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन खीकार करके विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (मोप्र०) - धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा-5 - पर्याप्त कारण होने से व्यायालय वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा-5 एंव भू राजस्व संहिता, 1959 (मोप्र०) - धारा 47 - सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुण-गुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये - पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

उपरोक्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के प्रकरण क्रमांक 14/2000-01 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.8.2001 में किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती है जिसके कारण अपर कलेक्टर छतरपुर ने एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के आदेश दिनांक 21.8.2001 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 194 अ-27/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.4.2005 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम०स०सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर